::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,					
		•	स टा मवल / 2- Floor, GST Bhavan, रोड, / Race Course Ring Road,		
			ति, / Race Course Ring Road,	स्तरामेव जयते	
	Tele Fax		2/2441142Email: cexappealsrajko	t@gmail.com	
रजिर	न्टर्ड डाक ए.डी.द्वाराः :-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
क	अपील / फाइलसंख्या/		मूल आदेश सं /	दिनांक/	
	Appeal /File No. V2/82/RAJ/2019		O.I.O. No. 24-25/DC/KG/2018-19	Date 30-03-2019	
ख	अपील आदेश संख्या(Or	der-In-Appeal No.):		
		RAJ-EXCU	<u>S-000-APP-013-2020</u>		
	आदेश का दिनांक / Date of Order:	28.01.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	28.01.2020	
	श्री गोपी नाथ , आयुक्त Passed by Shri G		गेट द्वारा पारित/ Imissioner (Appeals),Rajko	ot	
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :				
घ	अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellants & Respondent :-				
	M/s Hi-bond Cement Gondal .	(India) Pvt Ltd, Pat	tidad Survey No. 315/P, 316/P	& 317/P, National Highway,	
<i></i>	Any person aggrieved by way.	v this Order-in-Appea	तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के व al may file an appeal to the approp	riate authority in the following	
(A)	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनि 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती हैं।/ Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944			न्ती हैं।/	
(i)	86 of the Finance Act, 1 वर्गीकरण मृत्यांकन से सम्बन्धि	994 an appeal lies to धत सभी मामले सीमा शल	:- क, केन्द्रीय उत्पादन शल्क एवं सेवाकर अपीर्ल		
	ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई The special bench of Cu Delhi in all matters rela	stoms, Excise & Serv	vice Tax Appellate Tribunal of West	Block No. 2, R.K. Puram, New	
(ii)	–		न्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण जानी चाहिए ।/		
	To the West regional b Bhaumali Bhawan, Asa above	ench of Customs, E irwa Ahmedabad-38	xcise & Service Tax Appellate Tri 0016in case of appeals other tha	bunal (CESTAT) at, 2 nd Floor, m as mentioned in para- 1(a)	
(iii)	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/				
	The appeal to the Appel 6 of Central Excise (Ap accompanied by a dutydemand/interest/p form of crossed bank du place where the bench situated. Application ma	late Tribunal shall b peal) Rules, 2001 a fee of Rs. enalty/refund is upt aft in favour of Asst of any nominated pu ade for grant of stay s	e filed in guadruplicate in form E/ nd shall be accompanied against 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,0 to 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and ab Registrar of branch of any nomin ublic sector bank of the place when shall be accompanied by a fee of Rs	1-3 / as prescribed under Rule one which at least should be 00/- where amount of ove 50 Lac respectively in the lated public sector bank of the re the bench of the Tribunal is s. 500/	
(B)	अपीलीय न्यायाधिकरण के सम तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5म संलग्न करें (उनमें से एक प्रति लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 ह रुपये, 5,000/- रुपये अथवा न्यायाधिकरण की शाखा के सह चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भु आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आद	ाक्ष अपील, वित्त अधिनियम चार प्रतियों में की जा सबे प्रमाणित होनी चाहिए) औ 11ख या उससे कम,5 लाख 10,000/- रुपये का निर्धा 11 प्रायक रजिस्टार के नाम से गतान, बैंक की उस शाखा 1दन-पत्र के साथ 500/- रुप	म,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर केगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध र इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जह रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारि किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जार्र में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्या गए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/	नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में इं सेवाकर की माँग, ब्याज की माँग और इ रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- त शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय ो रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना याधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन	
			1 86 of the Finance Act, 1994, to t cribed under Rule 9(1) of the Serv aled against (one of which shall be the amount of service tax & interest s. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where e than fifty Lakhs rupees, in the ch of nominated Public Sector Ban or grant of stay shall be accompani	he Appellate Tribunal Shall be ice Tax Rules, 1994, and Shall certified copy) and should be est demanded & penalty levied demanded & penalty levied is the amount of service tax & form of crossed bank draft in k of the place where the bench ied by a fee of Rs.500/	

•

.

4

-

वित्त अधिनियम, 1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एषं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शल्क दवारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त दवारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है
 - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - (i) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि 🛸 🕬 (ii)
 - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

- बंशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

बशतें यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अज़ीं एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
 For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

 amount determined under Section 11 D;
 amount of erroneous Cenvat Credit taken;
 amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
 provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका लिरुनलिखित मामलो में,कंदीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रयमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outsideIndia export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv) पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / (v)

TR-6 an yild tidled an old fulled 1/ The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश हैं तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

(i)

...2...

ORDER-IN-APPEAL

M/s Hi-Bond Cement (India) Pvt Ltd, Gondal [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/82/RAJ/2019 against Order-in-Original No. 24-25/DC/KG/2018-19 dated 30.3.2019 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Dy. Commissioner, Central Goods and Service Tax Division, Rajkot-II [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. IV/3-2/D/2017-18 dated 27.9.2017 was issued to the appellant for non payment of service tax. The adjudicating authority confirmed Service Tax demand of Rs. 14,25,730/- along with interest and penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

3. The Appellant vide email dated 27.1.2020 informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 21.1.2020 to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019 and requested to withdraw their appeal.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

8111202

Commissioner(Appeals)

Attested

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

5-

To, M/s Hi-bond Cement (India) Pvt Ltd, Patidad Survey No. 315-317/P, National Highway, Gondal.	सेवा में, मे॰ हाई-बॉन्ड सीमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पाटीदद सर्वे न॰ 315-317/पी, नेशनल हाइवे, गोंडल।
---	--

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, राजकोट-II को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

